न्यायालय अपर जिला कलक्टर हनुमानगढ

पीठासीन अधिकारीः— उम्मेदी लाल मीना आर.ए.एस.
अपील सं. 35/2019

1. साहबराम पुत्र दुलाराम जाति जाट निवासी 16 एम डी तहसील व जिला हनुमानगढ
2. भूप सिह पुत्र दुलाराम जाति जाट निवासी 16 एम डी तहसील व जिला हनुमानगढ

अपीलांट्स

बनाम

1. स्टेट जरिये तहसीलदार (राजस्व) हनुमानगढ़, जिला हनुमानगढ़।

रेस्पोडेंट

अपील विरूद्ध निर्णय दिनांक 01.10.2019 न्यायालय तहसील राजस्व हनुमानगढ़, प्रकरण सं. 74/2019 अन्तर्गत धारा 22 राजस्थान उपनिवेशन अधिनियम 1954 जिसमें खड़ी फसल कुर्क कर कुन्ता करने का आदेश दिया, को अपास्त करवाने बाबत।

उपस्थितः— 1. श्री रामकुमार कस्वां अभिभाषक अपीलांट्स।
2. श्री शिवराज सिंह बराड़ राजकीय अभिभाषक।

—:निर्णयः—

दिनांकः—28.07.2025

अपीलान्ट द्वारा प्रस्तुत अपील के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार हैं कि अधीनस्थ न्यायालय/ रेस्पोडेनट के कार्यालय में पटवारी हल्का व गिरदावर हल्का मटोरियावाली ढाणी ने रिपोर्ट प्रस्तुत की कि गैरसायल/अपीलांट साहबराम पुत्र दलाराम जाति जाट निवासी 16 एम डी ने फसल नरमा सम्वत 2075—76 में चक 16 एम डी प०नं0 140/332 मुरबा नं0 25 किला नम्बर 1 ता 3, 5 ता 7, 9, 10, 11/1, 19, 20 कुल 2.745 है० रकबा राज पर नजायज काश्त की है। नोटिस प्राप्त होने पर अपीलांट ने इसका जवाब प्रस्तुत किया कि उक्त भूमि प्राधिकृत अधिकारी सिलींग हनुमानगढ के आदेश दिनांक 29—3—2001 के द्वारा बहक सरकार अधिग्रहण की गई थी जिसके विरूद्ध रामप्यारी बेवा कुन्दन ने न्यायालय अति० जिला कलक्टर हनुमानगढ के समक्ष अपील अनवानी रामप्यारी बनाम साहबराम अपील संख्या 11/2001 प्रस्तुत की जो निर्णय दिनांक 17—6—2002 के द्वारा खारिज की गई। उक्त निर्णय दिनांक 17—6—2002 व 29—3—2001 के विरूद्ध अपीलांट ने न्यायालय राजस्व मण्डल अजमेर के समक्ष अपील / सिलिंग/5855/2002/हनुमानगढ साहबराम बनाम सरकार प्रस्तुत की जो निर्णय दिनांक 14—6—2017 के द्वारा स्वीकार की गई एवं प्राधिकृत अधिकारी सिलिंग हनुमानगढ़ के निर्णय दिनांक 29—3—2001 एवं अतिरिक्त जिला कलक्टर हनुमानगढ द्वारा पारित निर्णय दिनांक 17—6—2002 अपास्त कर दिये। इसलिए उक्त भूमि आराजी राज की श्रेणी में नहीं आती है तथा निर्णय दिनांक 29—3—2001 जिसकी पालना मे उक्त रकबा आराजी दर्ज हुआ था, निष्प्रभावी हो चुका है विचारण न्यायालय ने अपीलाधीन आदेश दिनांक 1—10—2019 के द्वारा अपीलांट की काश्त शुदा नरमा की खडी फसल कुर्क कर कुन्ता प्रस्तुत करने के आदेश जारी किये जो निम्न आधारों पर काबिल खारिजी के है।

प्रश्नगत भूमि पूर्व मे कुन्दन पुत्र शेरा के स्वामित्व की कृषि भूमि थी जिस पर सिलिंग प्रकरण सरकार बनाम कुन्दन राम पुत्र शेरा प्रकरण संख्या 704/75 न्यायालय उपखण्डाधिकारी एवं प्राधिकरण अधिकारी सिलिंग हनुमानगढ के समक्ष कार्यवाही शुरू की गई एवं कुन्दन के परिवार में केवल दो सदस्य मानते हुए उसके धारण में 60 बीघा 17 बिस्वा भूमि होना मानी एवं 10.17 बीघा भूमि जरिये आदेश 29—3—2001 के द्वारा सिलिंग सीमा से अधिक मानते हुए

अपर कलक्टर
हनुमानगढ़

बहक सरकार अधिग्रहण करने के आदेश पारित किये जिसकी पालना मे उक्त भूमि चक 16 एम डी प०नं० 140/332 मुरबा नं0 25 किला नम्बर 1 ता 3, 5 ता 7, 9, 10, 11/1, 19, 20 कुल 2.745 है० बहक सरकार आराजी राज दर्ज की गई जिसके विरूद्ध प्रस्तुत अपील रामप्यारी बनाम साहबराम अपील संख्या 11/2001 दिनांक 17–6–2002 को खारिज कर दी गई जिसके विरूद्ध अपीलांट ने माननीय राजस्व मण्डल अजमेर के समक्ष सिलिंग अपील संख्या 5855/2002/हनुमानगढ साहबराम बनाम सरकार प्रस्तुत की जो दिनांक 14–6–2017 को स्वीकार कर उक्त दोनो निर्णय अपास्त कर दिये जिससे प्राधिकृत अधिकारी सिलिंग के निर्णय दिनाक 29–3–2001 का प्रभाव समाप्त हो गया एवं भूमि राजस्व रिकार्ड मे दिनांक 29–3–2001 के पूर्व की स्थिति बहाल होनी चाहिए थी। विचारण न्यायालय के समक्ष अपीलांट ने अपने जवाब में स्पष्ट अंकन किया एवं न्यायालय राजस्व मण्डल अजमेर के निर्णय की प्रति भी प्रस्तुत की है परन्तु विचारण न्यायालय ने बिना कोई दस्तावेजों की जांच किये विधि के आज्ञापक प्रावधानो के विपरीत अपीलांट के कब्जा काश्त की भूमि को कुर्क करने का आदेश पारित किया है जो मनमाने रूप से पारित किया गया होने के कारण काबिल खारिजी के है। प्रश्नगत भूमि सिलिंग प्रकरण में अवाप्त की गई थी जिस निर्णय से भूमि अवाप्त की गई थी वह निर्णय माननीय राजस्व मण्डल अजमेर के निर्णय दिनांक 14–6–2017 के द्वारा निरस्त किया जा चुका है उक्त तथ्य फर्द अहकाम/दिनांक 1–10–2019 मे विचारण न्यायालय की पत्रावली में अंकित है। अतः अपील प्रस्तुत कर निवेदन किया कि अपील अपीलांट स्वीकार फरमायी जाकर अपीलाधीन आदेश दिनाक 1–10–2019 अपास्त फरमाया जावे।

अपील दर्ज रजिस्टर की जाकर रेस्पोडेन्ट की तलबी की गयी। रेस्पोडेन्ट सं0 01 की ओर से राजकीय अभिभाषक ने उपस्थिति दी।

बहस सुनी गयी। अपीलार्थी के अभिभाषक ने अपनी अपील के तथ्यों को दोहराते हुए कथन किया कि अपील अपीलाण्ट स्वीकार फरमाई जाकर अपीलाधीन प्रकरण सख्या 74/2019 आदेश दिनांक 01–10–2019 अपास्त फरमाया जावे।

राजकीय अभिभाषक ने अपनी बहस में कथन किये कि तहसीलदार (राजस्व) संगरिया द्वारा प्रकरण सं0 74/2019 किस्म मुकदमा उपनिवेशन अधिनियम 1954 की धारा 22 निर्णय दिनांक 01.10.2019 विधि अनुसार है। इसलिए अपील अपीलांट खारिज फरमायी जावे।

उभयपक्ष की बहस पर मनन किया गया एवं पत्रावली अवलोकन करने व उभय पक्षकारान की बहस पर मनन करने के पश्चात पाया कि:–

1. न्यायालय उपखण्डाधिकारी एवं प्राधिकरण अधिकारी सीलिंग हनुमानगढ़ के प्रकरण संख्या 704/75 निर्णय दिनांक 29.03.2001 द्वारा प्रश्नगत भूमि को सीलिंग कानून 1973 के अन्तर्गत अधिग्रहण की गई। उक्त निर्णय के विरूध इस न्यायालय में सीलिंग अपील प्रकरण संख्या 11/01 अनवान रामप्यारी बनाम साहबराम में निर्णय दिनांक 17.06.2002 द्वारा उपखण्डाधिकारी हनुमानगढ़ के निर्णय को यथावत रखा गया।
2. इस न्यायालय के निर्णय दिनांक 17.06.2002 के विरूध माननीय न्यायालय राजस्व मण्डल अजमेर में पेश अपील संख्या 5855/2002 निर्णय दिनांक 14.06.2017 द्वारा इस न्यायालय के निर्णय दिनांक 17.06.2002 एवं उपखण्ड अधिकारी हनुमानगढ़ के निर्णय दिनांक 29.03.2001 को निरस्त कर प्रकरण उपखण्डाधिकारी एवं प्राधिकृत अधिकारी(सीलिंग) हनुमानगढ़ को रिमाण्ड किया गया।
3. माननीय राजस्व मण्डल अजमेर के निर्णय दिनांक 14.06.2017 से उपखण्डाधिकारी हनुमानगढ़ को रिमाण्ड प्रकरण में निर्णय से पूर्व राजस्थान उपनिवेशन अधिनियम 1954 की धारा 22 के प्रकरण संख्या 74/2019 अनवानी स्टेट बनाम साहबराम निर्णय दिनांक 01.10.2019 विधिसम्मत नहीं है।

20'

अपर जिला कलक्टर
हनुमानगढ़

अतः अपील अपीलाण्ट आशिंक स्वीकार फरमाई जाकर तहसीलदार (राजस्व) हनुमानगढ़ द्वारा प्रकरण सं0 74/2019 अनवानी स्टेट बनाम साहबराम में उपनिवेशन अधिनियम 1954 की धारा 22 के तहत जारी आदेश 01.10.2019 अपास्त किया जाकर प्रकरण तहसीलदार (राजस्व) हनुमानगढ़, जिला हनुमानगढ को प्रतिप्रेषित किया जाता है की पक्षकार को सुनकर राजस्व रिकार्ड की भलिभांति जांच कर विधि सम्मत निर्णय पारित करें। निर्णय की प्रति के साथ अधीनस्थ न्यायालय का अभिलेख लौटाया जाये। पत्रावली निर्णय शुमार होकर बाद तकमील दाखिल दफतर की जावे।

निर्णय आज दिनांक 28.03.2025 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(उम्मेदी लाल मीना)
अपर जिला कलक्टर
हनुमानगढ़